न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 83/2017

श्री महावीर आत्मज श्री भंवरलाल महाजन जाति महाजन उम्र 54 साल निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

————वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील–मसूदा, जिला–अजमेर

————प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 8.6.2018

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा इन्द्रगढ पटवार हल्का बाडी भू.अ.नि. क्षैत्र बिजयनगर में खसरा नंबर 558/695 रकबा 00–08–00, 560/696 रकबा 00–07–00, 564 रकबा 01–03–00 कुल रकबा 01–18–00 उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन वादी के नाम दिनांक 24.5.1985 को राजस्व केंप बाडी में श्रीमान् के आदेशानुसार किया गया जिस बाबत नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 24.5.1985 को जरिये वादी के नाम राजस्व जमाबंदी संवत 2041–2044 में गैर खातेदार दर्ज किया गया किन्तु नामान्तकरण संख्या 21 में सहवन से खसरा नंबर 564 के स्थान पर 544 अंकित हो गया जिसे श्रीमान् द्धारा दिनांक 18.7.1985 को पारीत दुरूस्ती आदेश के जरिये खसरा नंबर 544 के स्थान पर 564 को पारीत दुरूस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 24.6.1986 के जरिये राजस्व जमाबंदी संवत 2041–2044 में अंकित किया गया वादी वादग्रस्त आराजी पर 32 साल से भी अधिक अवधि से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चला आ रहा है, जिस बाबत राजस्व खसरा गिरदावरी में भी अंकन है। वादी के नमा वादगस्त आराजीयात वर्ष 1985 यानि संवत 2041 से आज दिवस तक राजस्व रेकार्ड जमाबंदीयो में बतौर गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी एंव उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी व अन्य कर्मचारीयो को दिनांक 10.8.2017 को एंव इसके पूर्व कई मर्तबा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वादग्रस्त आराजीयात को वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही इस कारण प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुआ है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की कर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये निषेधाज्ञा जारी किया जाकर वादी का विवादित भूमियो से बेदखल नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि विवादित भूमि नारायण सागर बांध के कमाण्ड क्षैत्र व नगरपालिका के बिजयनगर के पेराफेरी क्षैत्र में स्थित होने का कथन किया है।

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई साक्ष्य वादी में महावीर आत्मज श्री भंवरलाल का शपथ पत्र पेश किया जिसमें अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया। साक्ष्य प्रतिवादी ने पैरोकार सरकार ने कथन किया है, कि जवाबदावा को ही साक्ष्य के रूप में पढा जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजो को कथन करते हुये वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र खारीज किये जाने का कथन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

.....लगातार

राजस्व वाद संख्या 83 सन् 2017

श्री महावीर बनाम राजस्थान सरकार

// 2 //

1— आया वादी वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज कराने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है? ———वादी

2— आया वादी वादग्रस्त भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है?———वादी

3— आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी नारायण सागर बांध के कामण्ड क्षैत्र व नगरपालिका बिजयनगर के पेराफेरी क्षैत्र मे स्थित होने से वाद पत्र खारीज कराने का अधिकारी है? ——प्रतिवादी

4— अनुतोष?

उपरोक्त तनकी नंबर 1, 2 एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है, वादी ने अपने वाद में विवादित भूमियो अपने पिता से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने का कथन करते हुये खातेदारी की घोषणा चाही है, प्रदर्श—1 नक्शा ट्रेस है, तथा वादी ने अपने कब्जे संबंधीत दस्तावेज प्रदर्श—2 लगायत 17 के अनुसार वादी के नाम खातेदारी में गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के अनुसार के अनुसार कथन किया है, कि उक्त विवादित भूमिया कमाण्ड ऐरिया व नगरपालिका क्षैत्र के फेरा फेरी में होने का कथन किया है। ऐसी स्थित में उक्त तनकी नंबर 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय किया जाना पाया जाना पाया जाता है।

तनकी नंबर 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने जवाब में कथन किया गया है, कि उक्त विवादित भूमियां कमाण्ड ऐरिया व नगरपालिका क्षैत्र के पैराफेरी क्षैत्र में होने का कथन किया है, जबकि वादी ने तनकी नंबर 1 व 2 अपने पक्ष में साबित नही किया ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया एंव नगरपालिका क्षैत्र के पैराफेरी ऐरिया में होने में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नही होता है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 अनुतोष उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 1, 2 व 3 वादी ने अपने हक में तय नही कर पाया है इसलिये वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/6/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:32:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: